कैंटिन संचालन हेतु एकरारनामा का प्रारूप

(रु. 100/- के नन जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रण किया जाएगा)

यह एकरारनामा दिनांक .... को बिहार बाल भवन 'किलकारी', सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना-4 (संस्था)

तथा

मेसर्स .... (फर्म/एजेंन्सी) के बीच किया जा रहा है।

(1) बिहार बाल भवन 'किलकारी' द्वारा कैंटिन संचालन कार्य हेतु मेसर्स .... को अधिकृत किया जा रहा है। एजेन्सी को किलकारी के कैंटिन संचालन कार्य कार्यालय के आदेशानुसार निष्पादित करना अनिवार्य होगा। इस कार्य हेतु इन्हें दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

(2) आवश्यकतानुसार संस्था को 24 x 7 सर्विस उपलब्ध करवाना होगा।

(3) मेसर्स .... को किलकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(4) एकरारनामा के निहित शर्त्तो का उल्लंघन/संस्था के निर्देशों का उल्लंघन की स्थिति में एकरारनामा रद्द किया जा सकता है।

(5) कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर किलकारी द्वारा यह एकरारनाम सात दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

(6) पहला एकरारनामा एक वर्ष का होगा। एक वर्ष के उपरान्त एजेन्सी की कार्य की समीक्षा के उपरान्त अनुबंध विस्तार पर विचार किया जा सकता है।

(7) भोजन की गुणवक्ता में कमी होने की स्थिति में आवश्यक कार्यवाई या आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

(8) एजेन्सी को कार्यालय द्वारा निर्धारित किराया प्रत्यक माह के प्रथम सप्ताह तक चेक/डीडी के माध्यम से भुगतान करना होगा। जो ''बिहार बाल भवन, किलकारी'' पटना नाम से भुगतेय होगा।

(9) एजेन्सी द्वारा इस्तेमाल विद्युत का भुगतान रु. 8/- प्रति यूनिट की दर से करना होगा।

(10) कैंटिन एवं इसके आप-पास की सफाई की जिम्मेवारी एजेन्सी की होगी।

(11) कैंटिन हेतु आवश्यक सामाग्री जैसे गैस चुल्हा, बरतन आदि की व्यवस्था स्वयं एजेन्सी को करना होगा।

संस्था प्रमुख/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

व्यवस्थापक
'किलकारी' बिहार बाल भवन